IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN AT JODHPUR
---

CIVIL REVISION No. 86 of 2005

KASHMIR SINGH MANGAT & ORS
V/S
GOVERNING COUNCIL SSRI GURU NANK KHALSA

Mr. GR GOYAL, for the appellant / petitioner

Date of Order : 17.3.2005

HON'BLE SHRI N P GUPTA,J.

ORDER
---

Heard learned counsel for the appellant.

By the impugned order, the learned trial Court has dismissed the petitioners' application filed under Order 7 Rule 11 CPC. Out of the various grounds of application under Order 7 Rule 11, the only ground pressed was that the plaintiffs have no cause of action, inasmuch as, the defendants are the office bearers of the governing council, and if at all any right vested for filing the suit, that vested in the elected members, and the defendants, because the petitioners are working as governing council, and managing committee, as such, the suit was required to be dismissed under Order 7 Rule 11.

The learned trial Court has considered that for applicability of Order 7 Rule 11, it is not necessary that the plaintiff should have cause of action, but all that is necessary is that from the reading of the plant, it should disclose cause of action. Learned counsel read to me para 11 and 14 of the plaint, which read as under:

> "11- यह कि प्रतिवादीगण ने अपनी पार्टी के अन्य व्यक्तियों के साथ मिलकर मैनेजिंग कमेटी के कार्यालय पर दिनांक 26.9.2004 को जबरन कब्जा कर लिया और वे निर्वाचित मैनेजिंग कमेटी के पदाधिकारियो और सदस्यो को मैनेजिंग कमेटी के कार्यालय में घुसने नहीं दे रहे है, जिसका कि उन्हे कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। उक्त नाजायज कब्जे के सम्बंध में मैनेजिंग कमेटी के सचिव द्वारा एक प्रथम सूचना दिनाक 27.9.2004 को पुलिस थाना कोतवाली, श्रीगंगानगर में दर्ज करवायी गयी, जिसकी छायाप्रति संलग्न नवाद पत्र है। इस प्रकार के जबरन कब्जे के कारण वादी संस्था में अध्ययनरतविधार्थियो के अध्यापनकार्य में व्यवधानपड़ रहा है एवम् निर्वाचित

मैनेजिंग कमेटी को संस्थ थाके प्रबन्ध संचालन में कठिनाई आ रही है तथा कार्यालय में रखी हुई अलमारियां, जिनमें संस्थ थाका रिकॉर्ड रखा हुआ है, उसको अपने नियंत्रण में बिना अधिकार के अनाधिकृत रूप से ले लिया, इससे वादी संस्थ थाके हित विपरीत रूप से प्रभावित हो रहे है। अत: वादीगण को आदेशात्म कव्यादेश के द्वारा कार्यालय पर कब जा प्राप्त करने व उसमें रखी अलमारियां व रिकॉर्ड को अपने आधिपत्य यव नियन्त्रणमें लेने का अधिकार प्राप्त है और प्रतिवादीगण के विरूद्ध आदेशात्म कव्यादेश प्राप्त करने का वादहेतुक प्राप्त है।

14- यह कि वादीगण ने प्रतिवादीगण से वादी संस्थ थाके अधिकारों को स्वीकारकरने तथा प्रतिवादीगण द्वारा विधिविरूद्ध पारित करवाये गये प्रस्तावोंको प्रभावशून्य यमानते हुए रद्द करने व अपने आपको संस्थ थाका पदाधिकारी ना मानने एवम् वादीगण के कार्य में किसी प्रकार का हस्तक्षेप ना करने और कार्यालय का कब जाव उसमे रखे रिकॉर्ड का कब्जा देने का कई बार आग्रह किया, परन्तुप्रतिवादीगण ने वादीगण के आग्रह पर ध्यान नहीं दिया और अन्त में दिनांक 28.9.2004 को पुन: आग्रह करने पर ऐसा करने से स्पष्ट रूप से इंकार कर दिया। बस यही वादकारण वादीगण को प्रतिवादीगण के विरूद्ध हासिल है।"

In my view, these pleadings taken on the face value disclose the cause of action. In that view of the matter, I do not find any error in the impugned order requiring interference in revision.

The revision petition is, therefore, dismissed summarily.

( N P GUPTA ),J.

/tarun/